

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प... मण्डा सुरेरा

आदेश

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मण्डा सुरेरा व भूअ.नि. मण्डा सुरेरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [नायब तहसीलदार] की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मण्डा सुरेरा में खाता संख्या [] में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम /	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मण्डा सुरेरा	खसरा नम्बर 19, 20 फिल - 2 कुल रकबा 336 ई०	वाडिका का नाम ब्राह्मि डेवी पति बनाराम	वाडिका का नाम मांगी डेवी उर्फ ब्राह्मि डेवी पति बनाराम दरमद के आदेश के अनुसार किसी भी गणना का कारण आदेश के अनुसार दर्ज नहीं किया जाता है। बस्तुतः

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 18/10/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 171
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री [] को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर